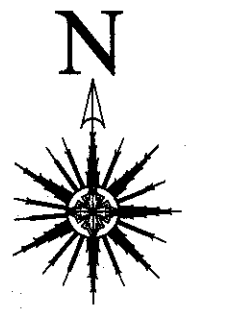


PROPOSED LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME

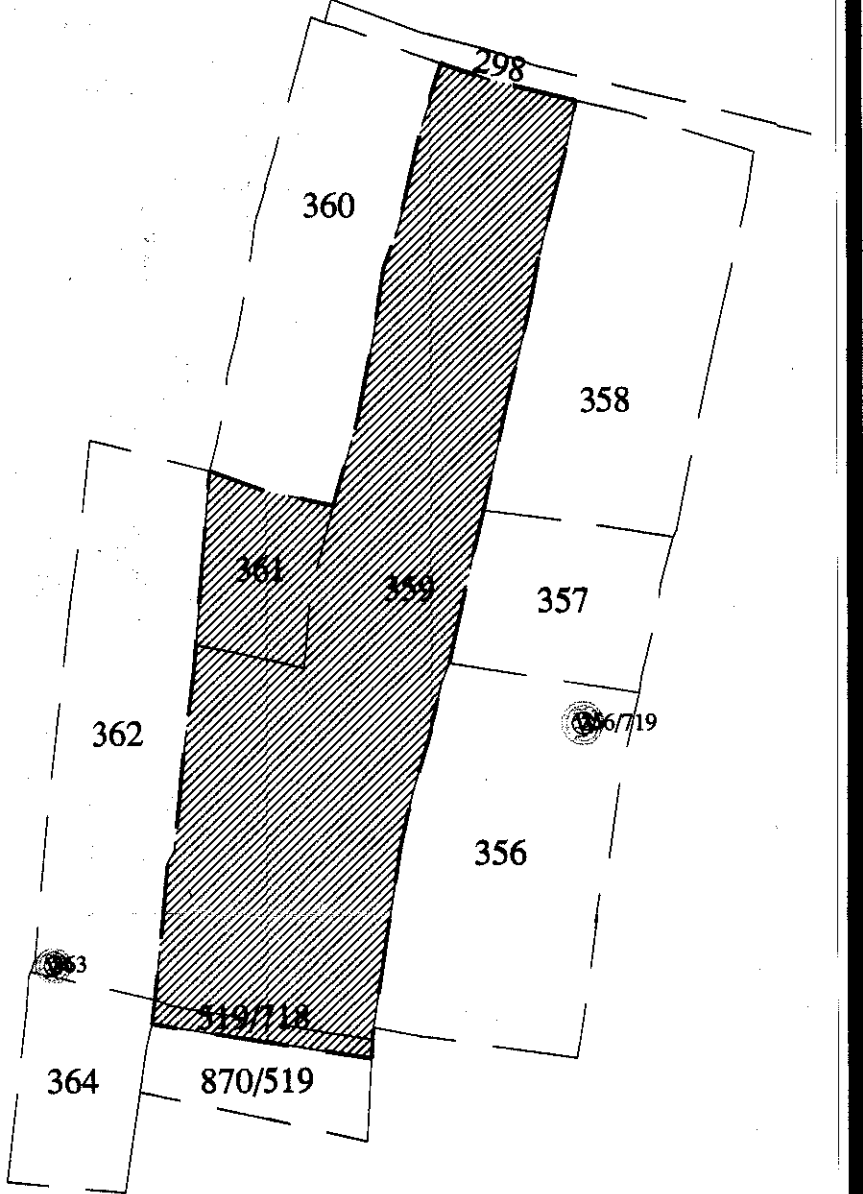
AWADH ESTATES

AT - VILLAGE SARANGPURA, SANGANER, JAIPUR
KH.NO. = 361,359,519/718



1744
B
21-7-26

KHASARA MAP PLAN :-



AREA ANALYSIS :-

S.NO.	LAND USED	AREA IN (sq.mtr.)	(%)
01.	RESIDENTIAL	9186.49	50.75
02.	RETAIL COMM.	268.21	1.48
03.	COMM.	301.64	1.67
(1+2)	SALEABLE AREA	9756.34	53.90
03.	PARK	1267.15	7.00
04.	FACILITY	724.22	4.00
05.	P.U.	724.09	4.00
06.	S.W.M.	50.00	0.28
07.	M.T.	20.00	0.11
08.	ROAD	5558.20	30.71
(3 to 8)	UNSALEABLE AREA	8343.66	46.10
SCHEME AREA		18100.00	100.00
		01.81 HECT.	

KH.NO. = 361,359,519/718
TOTAL AREA 1.8100 HECT. / 18100.00 SQ.MTR.

LAND USED	AREA IN (sq.mtr.)
ROAD AREA	000.00
TOTAL AREA	18100.00

योजना की पूरी भूमि का सारा अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं भूके पर भूमि का प्रमाणीकरण करे द्वारा किया गया।
योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलवार नाम उपायुक्त जौन-

बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालन में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम- PROPOSED LAYOUT PLAN OF AWADH ESTATES IN KHASRA NO.- 361,359,519/718 AT VILLAGE - VILLAGE SARANGPURA, SANGANER, JAIPUR

जोन संख्या = 11

पैमाना :- 1:500

बीपीसी-एलसी की 414वीं बैठक दिनांक 27.08.2026 ने एका जयपुर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ "AWADH ESTATES" प्रयोजनार्थ का ले आउट प्लान अनुमोदन किया गया है:-

- अवेधित योजना में सम्मिलित सभी खसरे की धारा 80-ए का निर्णय दिनांक 25.02.2026 को पारित किया गया है।
- एक आवासीय योजना आवासीय योजना "AWADH ESTATES" की भूमि संपूर्ण अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्रतिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमाणीकरण तहसीलवार व पटवारी द्वारा किया गया है।
- बीपीसी एलसी की 414वीं बैठक 04.11.2025 में लिए गये निर्णय निर्णय के क्रम में बीपीसी का अनुमोदन जोन में पदस्थानित अधिकाधिकार के अधिकारी एवं जोन उपायुक्त द्वारा दृष्टान्तित पॉलिटी-2024 के प्रावधान अनुसार होने की सुनिश्चिता एवं बीपीसी एलसी की 414वीं बैठक में लिए गये निर्णय निर्णय की सुनिश्चिता जोन द्वारा की जायेगी।
- अवेधित योजना में वर्णन न होने वाले खसरे प्रथम हेतु भूमि आरक्षित रखी गयी है।
- एक आवासीय योजना मानचित्र दृष्टान्तित पॉलिटी-2024 के प्रावधानानुसार जारी किया गया है।
- एक आवासीय योजना मानचित्र एवं संपीटरी मानचित्र दिनांक-2026 के वेब होम।
- एक आवासीय योजना का सार्वजनिक निर्धार अनुसार क्षेत्र जो नीचे दिए गए खसरा भूमि के क्षेत्रफल से मिलान करते हुए दृष्टान्तित पॉलिटी के प्रावधान अनुसार मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना में आवासीय विकास कार्य के एकाज में 12.80 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न मुख्य जमिया में रखे रखे जाते हैं- मुख्य संख्या- 1 से 14 तथा कॉन्सिडर मुख्य सं. C-1 कुल मुख्य 11 क्षेत्रफल 1232.44 वर्गमीटर रखे रखे गये हैं।

(सुनील कुमार) तहसीलवार जौन-11 (अधिकार पटवारी) सहायक नगर निरीक्षक जौन-11 (बी. पी. सी. एल. सी.) उपायुक्त जौन-11

(अजय मोहन) एवं नगर निरीक्षक बी.पी.सी. (एल.सी.) (रवि कुमार मोहन) उपायुक्त जौन-11

जयपुर विकास प्राधिकरण